# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्रसिंह चांदावत, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 16 / 2020

**प्रार्थी–**

सखी मोहम्मद पुत्र गुल मोहम्मद
जाति मुसलमान निवासी सेड़वा
जिला बाड़मेर

***बनाम***

**अप्रार्थीगण–**

1. ग्राम पंचायत सेड़वा जरिये सरपंच
2. साहेबना पुत्र जुसब खान जाति मुसलमान निवासी हरपालिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

**निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 28 मिसल सं. 23 दिनांक 20.06.2019 जो अप्रार्थी सं. 2 साहेबना के नाम ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी किया गया।**

उपस्थिति :–

1. श्री अम्बालाल जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुनील मेराजा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

## निर्णय

दिनांक : 03.09.2024

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत सेड़वा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम सेड़वा मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का आवासीय पट्टा विलेख सं. 28 दिनांक 20.06.2019 को जारी किया [illegible] क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित [illegible] दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत सेड़वा द्वारा इस [illegible] राजस्थान [illegible]यतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना [illegible]ही किये जाने से [illegible]ट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:51:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते



अपर कलक्टर बाड़मेर

करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत सेड़वा का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि विवेच्य पट्टा राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी होना पट्टे पर अंकित किया गया है जो कि 50 वर्ष पुराने गृहों (मकान) के निर्मित होने के आधार पर पट्टा जारी करने का प्रावधान है, किन्तु पट्टाधारी उतरदाता संख्या 02 ग्राम सेड़वा का निवासी ही नहीं है, वह ग्राम पंचायत हरपालिया का निवासी है फिर भी उतरदाता संख्या 01 ग्राम पंचायत ने यह पट्टा जारी किया है। जो भूमि हड़प करने के आशय से छिपे तौर पर पुराने गृहो के नियमितीकरण के तहत पट्टे प्राप्त किये है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जारी पट्टे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के द्वारा बनाये गये नियमों की पूर्ण पालना नहीं कि जाने एवं नियमों की अनदेखी किये जाने के आधार पर आलौच्य पट्टा निरस्त करने योग्य हैं।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य का भूखण्ड मौजा सेड़वा की आबादी भूमि में आया हुआ हैं। उतरदाता संख्या 2 का मौके पर न तो कोई कब्जा है और न ही पुराना मकान है। उतरदाता संख्या 02 द्वारा विवादित भूमि 02.01.2016 को खरीदी गई है जिसके बेचाननामा (ईकारारनामा प्लॉट बेचान) का उल्लेख किया है वह ईकारारनामा प्लॉट बेचान का पूर्ण रूप से गलत एवं अवैध है, क्योकि इकरारनामें का 500/—का यह स्टाम्[illegible]ला कोष कार्यालय से दिनांक 25.11.2016 को जारी [illegible] जिसकी [illegible] स्टाम्प पेपर पर अंकित है किन्तु इस बेचान के [illegible] 02.01.2016 को होना अंकित है, जो कि किसी दशा में सम्भव ही नहीं है। इस कुटरचित ईकरारनामे को नोटेरी द्वारा दिनांक 02.11.2017 को तस्दीक करवाना दृष्टिगोचर हो रहा है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:51:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते



अपर कलक्टर बाड़मेर

इतनी देरी से तस्दीक करवाने से इसका निष्पादन संदेह पैदा करता है। इस प्रकार उतरदाता संख्या 2 ने विवादित पट्टे को हासिल करने हेतु जिस कथित बेचान के ईकरारनामे को आधार बनाया है, वह स्वयं ही अवैध है। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि उल्लेखित भू–खण्ड बेचान का ईकारारनामा दिनांक 02.01.2016 बरकत अली द्वारा निष्पादित किया जाना दर्शाया गया है, मगर बरकत अली ऐसे किसी भी बेचान पत्र/ईकरारनामा को निष्पादित करने का अधिकार ही नहीं है। कथित बेचान पत्र/ईकरारनामा अवैध है, क्योंकि बरकत अली पुत्र गुल मोहम्मद ने अपनी माता मोहतों को साथ रखकर इस भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड दिनांक 31.08.2005 को कर दिया था। तब से अर्थात 31.08.2005 से मौके पर इस प्लॉट की भूमि पर उक्त बरकत अली का कोई कब्जा या मालिकाना हक नहीं रहा। अब सन् 2016 से पुनः इस प्लॉट को उतरदाता संख्या 2 को जरिये ईकरारनामा बेचान करना सर्वथा अवैध एवं अनाधिकृत है। सन् 2005 में रजिस्टर्ड बेचान पत्रों में बरकत अली के हस्ताक्षर सुपाठ्य एवं स्पष्ट रूप से पठनीय होना दर्शित है जबकि 2016 के कथित बेचान पत्र में अंकित हस्ताक्षर सर्वथा भिन्न है स्पष्ट नहीं है एवं हस्ताक्षरों का सही होना पूर्ण रूप से संदेहास्पद है। अतः प्रार्थी की तरफ से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाकर ग्राम पंचायत सेड़वा द्वारा जारी आलौच्य पट्टा संख्या 28 दिनांक 20.06.2019 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. हमने पत्रावली का अ[illegible] प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। अप्रा[illegible] सेड़वा के समक्ष एक आवेदन–पत्र प्रस्[illegible] आबादी भूमि में स्थित भूखण्ड के पट्टा विलेख जारी करने [illegible] निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही कर आलौच्य पट्टा विलेख सं. 28 दिनांक 20.06.2019 को जारी कर दिया। प्रार्थी के अधिवक्ता का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:51:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)



अपर कलक्टर बाड़मेर

कथन हैं कि विवेच्य पट्टा राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी होना पट्टे पर अंकित किया गया है जो कि 50 वर्ष पुराने गृहों (मकान) के निर्मित होने के आधार पर पट्टा जारी करने का प्रावधान है। किन्तु पट्टाधारी उतरदाता संख्या 02 ग्राम सेड़वा का निवासी ही नहीं है, वह ग्राम पंचायत हरपालिया का निवासी है फिर भी उतरदाता संख्या 01 ग्राम पंचायत ने यह पट्टा जारी किया, जो विधि विरूद्ध एवं अनियमित होने से अपास्त योग्य हैं। उतरदाता संख्या 2 ने विवादित भूखण्ड के क्रय किये जाने बाबत जिस बेचाननामा (ईकाराननामा प्लॉट बेचान) का उल्लेख किया है वह ईकारारनामा प्लॉट बेचान का पूर्ण रूप से गलत एवं अवैध है, क्योकि इकरारनामें का 500/–का यह स्टाम्प पेपर जिला कोष कार्यालय से दिनांक 25.11.2016 को जारी हुआ है, जिसकी सील स्टाम्प पेपर पर अंकित है किन्तु इस बेचान के ईकरारनामे का निष्पादन 02.01.2016 को होना अंकित है, जो कि किसी दशा में सम्भव ही नहीं है। इस कुटरचित ईकरारनामे को नोटेरी द्वारा दिनांक 02.11.2017 को तस्दीक करवाना दृष्टिगोचर हो रहा है, इतना देरी से तस्दीक करवाने से इसका निष्पादन संदेह पैदा करता है। इस प्रकार उतरदाता संख्या 2 ने विवादित पट्टे को हासिल करने हेतु जिस कथित बेचान के ईकरारनामे को आधार बनाया है, वह स्वयं ही अवैध है। अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी आलौच्य पट्टा विलेखों से सम्बन्धित पत्रावलियों का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि ग्राम पंचायत सेड़वा के समक्ष अप्रार्थी सं. 2 की ओर से आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जिसमें सार्वजनिक आपति प्रमाण–पत्र का नोटिस विधिवत रूप से प्रकाशित नहीं हैं। इसके अलावा आदेशिका में जिन वार्ड पंचो की कमेटी का गठन किया गया है, उनके पू[illegible] भी अंकित नहीं हैं ऐसे में जो मौका कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होकर पत्रावली में सम्मिलित की गई है व अप्राधिकृत रूप से तैयार मौका रिपोर्ट [illegible] आदेशिका पर तिथिवार सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है इससे प्रकट होता है कि यह सन्देहास्पद है। इससे प्रतीत होता है कि प्रत्येक बैठक में पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:51:50 IST
Reason: SelfAttested



अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आलौच्य पट्टा जारी करने सम्बन्धी पत्रावली के अवलोकन से ग्राम पंचायत की ओर से की गई कार्यवाही नियमों के परिप्रेक्ष्य में पूर्णतया अनियमित एवं अपूर्ण कार्यवाही हैं, जिसके आधार पर यह निगरानी प्रार्थना–पत्र धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत नियमितता एवं पूर्णता के पहलु पर स्वीकार योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत सेड़वा द्वारा बैठक दिनांक 20.06.2019 के संकल्प सं. 3 तहत लिये गये निर्णय एवं उसकी अनुपालना मे अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 28 दिनांक 20.06.2019 को अपास्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 03.09.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

( राजेन्द्रसिंह चांदावत )
अति0 जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:51:50 IST
Reason: SelfAttested